

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर (राज0)

तकनीकी बिड

कार्य का नाम :- लोक सभा आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव संबंधित कार्य हेतु मजदूर/हेल्पर की व्यवस्था की आपूर्ति का कार्य।

फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :
मो.नं. एवं ईमेल आई.डी सहित.....

अनुमानित राशि :- 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये)

धरोहरा राशि (2 प्रतिशत) :- 10,000/-

निविदा शुल्क :- 500/-

प्रोसेसिंग शुल्क :- 500/-

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 27.03.2024 से 01.04.2024 तक
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 27.03.2024 से 01.04.2024 तक
- ई.एम.डी/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि : 02.04.2024 (दोपहर 02:00 बजे तक)
(उपरोक्त डी.डी. नगर निगम कोटा उत्तर के कार्यालय में कमरा नं0 213 में प्राप्त किये जायेंगे)
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 02.04.2024 (सायं 04: 00 बजे)
- वित्तीय बिड खोलने की तिथि : तकनीकी बिड पर प्रशासनिक निर्णय के उपरान्त

क्र	तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हॉ/नहीं	संलग्न पेज नं0
1	निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/धरोहर राशि के भुगतान के डीडी/बैंकर्स चैक की प्रति। स्वयं के/फर्म के खाते से तैयार		
2	स्थायी पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड आदि की प्रति।		
3	तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।		
4	पेन कार्ड की प्रमाणित पत्र की प्रति।		
5	संवेदक को नगर निगम कोटा -उत्तर के मेयर/पार्षद/अधिकारी /कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत रू 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।		
6	फर्म के कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का शपथ -पत्र 50/-रू0 के स्टाम्प पर।		
7	जी.एस.टी. नम्बर की प्रमाणित पत्र की प्रति।		
8	आवेदक के गत तीन वर्ष (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) के इनकम टैक्स रिटर्न की असेसमेन्ट स्व प्रमाणित प्रति		
9	श्रम विभाग के लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति यदि उपलब्ध नहीं है तो कार्यादेश जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा नहीं तो रिस्क एण्ड कोस्ट आधार पर कार्यवाही होगी।		
10	पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।		
11	पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से पुराना न हो प्रस्तुत करना होगा।		

नोट :- उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होने चाहिये एवं उक्त दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा हमारी फर्म निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों की पालना करने के लिये सहमत है।

कार्य की शर्तें :-

1. श्रमिकों को लोकसभा आम चुनाव 2024 के नियमों की पालना करनी होगी।
2. दर के कॉलम में सर्विस चार्ज सहित मजदूर/हेल्पर की न्यूनतम मजदूरी RUIDP 2022 दर रूपये 435/-रु0 समस्त करों सहित नियत की गई है।
3. संवेदक यह भी सुनिश्चित करें की निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त डी.डी. फर्म के अकाउन्ट से बने हुए होना चाहिए।
4. श्रमिक को कार्य प्रतिदिन करना होगा परन्तु कार्य पर लगाये गये सभी श्रमिक को क्रमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना होगा।
5. धरोहर राशि एवं टेण्डर फीस के डी.डी./पे-ऑर्डर रसीद जो कि आयुक्त, नगर निगम कोटा-उत्तर व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./एम.डी.आर.एस.एल. जयपुर कार्यालय में जमा कराने होंगे। उपरोक्त डी.डी. फर्म के खाते से बनाने होंगे।
6. कार्य समय प्रातः 9:00 से सायं 6:00 बजे तक कार्य करवाना होगा। जिसमें भोजन अवकाश दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक होगा।
7. बिना धरोहर राशि के एवं निविदा शुल्क के बिना कोई निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।
8. किसी भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त नगर निगम कोटा-उत्तर में निहित होगा।
9. संवेदक को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निहित समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी एवं पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन करवाकर श्रमिकों के पी.एफ. के खाते खुलवाने होंगे तथा श्रम विभाग के पी. एफ. एवं ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रथम भुगतान से पूर्व करनी होगी।
10. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के करों (आयकरों को छोड़कर) का भुगतान का दायित्व नगर निगम, कोटा-उत्तर का होगा।
11. संवेदक द्वारा पी.एफ. ई.एस.आई. बैंक खाता जमा की प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात् के चालान प्रस्तुत करने पर (मय सूची) पुनर्भरण भुगतान किया जावेगा।
12. संवेदक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होगा। इसका प्रमाण पत्र बिल पर अंकित करने पर ही भुगतान किया जावेगा।
13. अन्य शर्तें जी.एफ. एण्ड ए.आर. भाग द्वितीय के नियम 68 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 एवं 2013 में वर्णितानुसार लागू होगी।
14. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जप्त कर ली जावेगा।
 - (अ) जब कार्य आदेश देने के बावजूद उल्लेखित समयावधि में कार्य प्रारम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
 - (ब) निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को सम्पादित नहीं करता है।
 - (स) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस ले लेता है।
 - (द) निविदा की शर्तों की पालना नहीं करता है।
15. निविदा दो पार्ट में होगी तकनीकी बिड की फीडिंग अलग होगी तथा वित्तीय बिड की फीडिंग अलग होगी। पहले तकनीकी बिड ऑपन की जावेगी उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेगी।
16. संवेदक को प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख के मध्य बिल प्रस्तुत करना होगा। बिल निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं करने पर 500/-रु0 प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी।
17. निविदा प्राप्ति/खोले जाने की नियत तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस माना जावेगा।
18. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने/कार्य संतोषप्रद न होने की अवस्था में ठेका निरस्त कर धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकेगी।
19. कार्य पर रिस्क एण्ड कॉस्ट नियम लागू होगा।
20. निविदा शुल्क व अमानत राशि के डी.डी. के पीछे संवेदक स्वयं का नाम या फर्म का नाम मय मोबईल नमबर अंकित करना होगा।
21. श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।

22. इनकम टैक्स का दायित्व संवेदक का होगा।
23. प्रस्तुत की जाने वाली दरों में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर + पी.एफ. व ई.एस.आई + सर्विस चार्ज (5 प्रतिशत) को शामिल करते हुये प्रस्तुत की जावे इससे कम दर मान्य नहीं होगी।
24. नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान करने पर एवं उनके पी.एफ. व ई.एस.आई. श्रमिकों के खाते में करवाने का दायित्व बिडर का होगा यदि किसी श्रमिक खाते में पी.एफ. व ई.एस.आई. जमा नहीं होने की स्थिति में किसी भी श्रमिक द्वारा कोई दावा किया जाता है तो उससे संबंधित समस्त उत्तरदायित्व संवेदक को ही वहन करना होगा।
25. श्रमिकों का भुगतान समय पर श्रमिकों को खाते में ऑनलाईन बैंक के माध्यम से करना होगा। बिल प्रस्तुत करते समय पी.एफ., ई.एस.आई. व श्रमिक भुगतान बैंक डिटेल भी साथ प्रस्तुत करने के बाद बिल भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
26. ठेकेदार द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही दरें प्रस्तुत की जावे।
27. सफलतम निविदादाता को 5 प्रतिशत प्रतिभूती राशि करवानी होगी। जिसमें से टेण्डर फार्म के साथ 2 प्रतिशत राशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा तथा 3 प्रतिशत धरोहर राशि नगद/डी.डी. के रूप में अनुबंध करते समय जमा करवाना होगा।
28. निविदा शर्तों को स्वीकार करने के लिये निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
29. ठेकेदार द्वारा संतोषप्रद रूप से शर्तों य अनुबंध का पालन नहीं करने की स्थिति में नगर निगम कोटा उत्तर को एक तरफा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
30. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होते ही निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कराना होगा।
31. यह कार्य अहतरांणीय होगा एवं अन्य को नहीं किया जावेगा।
32. संवेदक श्रमिक की आपूर्तिकर बिल का प्रमाणिकरण संबंधित निरीक्षक/इंजार्ज/प्रभारी द्वारा किये जाने पर ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
33. ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर टेण्डर राशि का 0.25 प्रतिशत के हिसाब से स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर निविदा स्वीकृति तिथि के अंदर सात योम में अनुबंध करना होगा। अनुबंध नहीं करने पर प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर जमा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
34. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य में लगाये गये श्रमिक के संबंध में सभी संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम का पालन नहीं करने पर उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम कोटा-उत्तर इस संबंध में उत्तरदायि नहीं होगा।
35. श्रमिक का व्यवहार, आचरण एवं गैरकानूनी कार्यों में लिप्त होने बाबत ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी नगर निगम कोटा-उत्तर इसके लिये उत्तरदायि नहीं होगा।
36. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक की उम्र 18 से उपर व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।
37. संवेदक को प्रत्येक माह के बिल के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत बिल के साथ पी.एफ. व ई.एस.आई. चालान की रसीद प्रस्तुत की जा चुकी है।
38. किसी भी दुर्घटना में श्रमिक को हुई क्षति के लिये पूर्ण से ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा। अगर किसी वजह से श्रमिक या परिजन न्यायलय में जाते हैं तो न्यायलय द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये नगर निगम कोटा-उत्तर की जिम्मेदारी तय की जाती है जो ठेकेदार की अमानत राशि/सुरक्षा गारंटी राशि उनको देय किसी भी भुगतान से कटौती की जायेगी तथा इसके उपरान्त भी राशि शेष है तो उसकी वसुली नियमानुसार संवेदक से की जावेगी।
39. ठेका अवधि में यदि न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन राशि के अनुसार टेण्डर में भुगतान नगर निगम कोटा-उत्तर द्वारा किया जायेगा।
40. निविदा की कार्य अवधि एक वर्ष होगी तथा संवेदक का कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से कार्य आदेश अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
41. नगर निगम कोटा दक्षिण हित में ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा नगर निगम कोटा-उत्तर द्वारा बिना कारण बताये एक माह का नोटिस दिया जाकर निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा-उत्तर का होगा।
42. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निगम प्रशासन का होगा और वह दोनों पक्षों के लिये मान्य होगा। न्यायिक विवाद क्षेत्र कोटा होगा। निविदा स्वीकृत करने से पूर्व शर्तों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
43. निविदा पर लोक उपापन में पारदर्शिता नियम निमानुसार रूप से लागू होगा। संवेदकों की दर समान प्राप्त होने पर निर्णय सम्पूर्ण पारदर्शिता की शर्तों के आधार पर लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।
44. श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस की अवधि में जमा कराना होगा तत्पश्चात् भुगतान किया जावेगा।

45. कार्यरत श्रमिकों की अनुपस्थिति में अन्य श्रमिक उपलब्ध कराना होगा अन्यथा नियमानुसार पैनल्टी लगाई जावेगी।
46. जिस किसी भी फर्म को कार्यदेश जारी होगा उस फर्म का किसी भी स्थिति में कार्य करने आवश्यक होगा। अगर कार्य नहीं किया गया है तो फर्म के विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही अमल में ली जावेगी साथ ही चुनाव आयोग के नियमानुसार भी कार्यवाही की जावेगी।

अथवा

मेरे द्वारा शर्तों/निर्देशों को भली-भांति अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त शर्तों पर कार्य करने में सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION KOTA NORTH, RAJASTHAN

G-Schedule

NIT-28/2023-24 Work-03

Name of Work :- लोक सभा आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव संबंधित कार्य हेतु मजदूर/हेल्पर की व्यवस्था का कार्य।

Estimate Cost :- Rs. 500000/-

Rate Based on PWD BSR 2022 & Non BSR Item

S. No.	Particulars	Unit	Qty.	Rate Per Day	Amount
	Part-A "G" Schedule Item				
1	लोक सभा आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव संबंधित कार्य हेतु मजदूर/हेल्पर की व्यवस्था का कार्य। Mazdoor/Helper RUIDP SOR-2022	Each	1149.00	435.00	499815.00
	Total				499815.00

Say Rs. 500000

Junior Engineer
Nagar Nigam Kota North

Assistant Engineer
Nagar Nigam Kota North

Executive Engineer
Nagar Nigam Kota North